



## BASIC CONCEPT



The sale of Goods Act, 1930 is based on

**'The English Sale of Goods Act, 1893'**

\* The sale of Goods Act, 1930 is based on

'The English Sale of Goods Act, 1893' Before (पहले):

The Provisions of Sale of Goods Act was embodied in sections 76 to 123 of the Indian Contract Act, 1872.

(माल विक्रय अधिनियम, 1930 के प्रावधान भारतीय संविदा अधिनियम के Sec. 76 से 123 में दिये गए थे)

The said provisions have since been repealed by 'the Sale of Goods Act, 1930' (इन प्रावधानों को 'माल विक्रय अधिनियम, 1930' के द्वारा निरसित कर दिया गया है।)

**Object** (उद्देश्य):- Development of Trade & Commerce in Country.  
(देश में व्यापार और वाणिज्य के विकास के लिए)

**Sec. 3: Application of the provisions of the Indian Contract Act, 1872**  
(भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के उपबंधों का लागू होना)

The unrepealed provision of the Indian Contract Act, 1872, Shall continue to apply to contract for the sale of goods.

(भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनिरसित उपबंध माल के विक्रय की संविदाओं को लागू होते रहेंगे।)

But they are applied only to the extent when they are consistent with the Sale of Goods Act.

If inconsistent then not Applied to sale of goods act.

(माल विक्रय अधिनियम के साथ जिस सीमा तक संगत है, वहाँ तक भारतीय संविदा अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे किंतु अगर वे असंगत है तो लागू नहीं होंगे)



## CHAPTER- 1 Preliminary

### प्रारंभिक

### [Sec. 1-3]

- Short title, extent and commencement**—(1) This Act may be called the Sale of Goods Act, 1930.  
संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ-(1) यह अधिनियम माल-विक्रय अधिनियम, 1930 कहा जा सकेगा।
- It extends to the whole of India**  
इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।
- It shall come into force on the 1st day of July, 1930.**  
यह जुलाई, 1930 के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा।

### Sec. 2. Definitions —

परिभाषाएं

- "buyer" means a person who buys or agrees to buy goods;**  
"क्रेता" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो माल का क्रय करता है या क्रय करने का करार करता है
- "delivery" means voluntary transfer of possession from one person to another;**  
"परिदान" से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कब्जे का स्वेच्छया अन्तरण अभिप्रेत है;

### Sec. 2(2): Delivery (परिदान)



**Voluntary (स्वेच्छया)**

[PJS 2013]




**Transfer of possession from one person to another.**

(एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कब्जे का अंतरण)

**Sec. 2(2): Deliverable state (परिदेय स्थिति):-** Goods are said to be in a deliverable state where the buyer is bound to take their delivery under a contract. [PJS 2019]

### Mode of Delivery (परिदान)





- (3) **deliverable state-** goods are said to be in a "deliverable state" when they are in such state that the buyer would under the contract be bound to take delivery of them. [PJS 2019]

माल का, "परिदेय स्थिति में होना तब कहा जाता है जबकि वह ऐसी स्थिति में हो कि क्रेता उसका परिदान लेने के लिए संविदा के अधीन आबद्ध हो।

- (4) **Document of title to goods** -"document of title to goods" includes a bill of lading, dockwarrant, warehouse keeper's certificate, wharfingers' certificate, railway receipt, multimodal transport document,] warrant or order for the delivery of goods and any other document used in the ordinary course of business as proof of the possession or control of goods, or authorising or purporting to authorise, either by endorsement or by delivery, the possessor of the document to transfer or receive goods thereby represented;

"माल पर हक की दस्तावेज के अन्तर्गत वहनपत्र, डाक-वारण्ट, भाण्डागारिक प्रमाणपत्र, घाटवाल का प्रमाणपत्र, रेल-रसीद, बहुविधि परिवहन दस्तावेज, माल के परिदान के लिए वारण्ट या आदेश और ऐसी अन्य कोई भी दस्तावेज आती है जिसका कारबार के मामूली अनुक्रम में उपयोग माल पर कब्जे या नियंत्रण के सबूत के रूप में किया जाता है या जो उस दस्तावेज पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति को वह माल जिसके बारे में वह दस्तावेज है अन्तरित या प्राप्त करने के लिए या तो पृष्ठांकन द्वारा या परिदान द्वारा प्राधिकृत करती है या प्राधिकृत करने वाली तात्पर्यित है;

A document of title to goods means any document which is used in the ordinary course of business as proof of possession or control of goods. It is a document authorising or purporting to authorise, either by endorsement or by delivery, the possessor of the document to transfer or receive the goods represented by it.

कोई भी प्रलेख, जिसे सामान्य व्यापारिक व्यवहार में किसी माल पर अधिकार एवं नियंत्रण के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है, उसे ही माल के स्वत्व का प्रलेख कहा जाता है। ऐसे प्रलेख का धारक माल को प्राप्त कर सकता है। इसका धारक उस प्रलेख की सुपुर्दगी या बेचान से उसमें वर्णित माल का हस्तांतरण भी करने का अधिकार रखता है। ऐसे प्रलेखों की सुपुर्दगी या बेचान से माल की सुपुर्दगी हुई मानी जाती है।

**Types:** Following are the usual types of documents of title to goods.

माल के स्वत्व के कुछ प्रचलित प्रलेख निम्नानुसार हैं:

- 1. Bill of lading (जहाजी बिल्टी):** It is a document of title to the goods which entitles the possessor to receive the goods referred in it from the captain of the ship. यह किसी जहाज पर माल लादने की रसीद है, जो जहाज के कप्तान द्वारा या उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा जारी की जाती है। इसमें माल प्राप्त करने की रसीद के साथ-साथ उसमें उल्लिखित शर्तों के अनुसार गंतव्य स्थल पर माल सुपुर्द करने की गारण्टी भी होती है।
- 2. Dock-warrant डॉक वारण्ट:** It entitles the possessor of it to receive the goods represented by it from the dock-owner. यह बन्दरगाह के स्वामी द्वारा जारी की गई माल प्राप्ति की रसीद है, जिसमें यह प्रतिज्ञा होती है कि वह इसके धारक या उल्लिखित व्यक्ति को इसमें वर्णित माल सुपुर्द कर देगा।



3. **Warehouse-keeper's or wharfinger's certificate** (गोदाम रक्षक या घाटपाल का प्रमाण-पत्र): It entitles the possessor of it to recover the goods described in it from the warehouse keeper or wharfinger.

यह किसी गोदाम रक्षक या घाटपाल द्वारा जारी किया गया एक प्रलेख है, जिसमें इस बात का प्रमाण होता है कि इसमें उल्लिखित माल गोदाम या घाट पर आ गया है, जिसकी सुपुर्दगी इस प्रमाणपत्र के धारक या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को दे दी जायेगी।

4. **Railway receipt(R/R) रेलवे रसीद** : An R/R is a document, the possessor of which is entitled to receive goods described in it from the railway company issuing it.

यह रेलवे द्वारा जारी की गई माल प्राप्ति की रसीद या बिल्टी है। इसके धारक या इसमें वर्णित व्यक्ति को रेलवे द्वारा प्राप्त माल को गंतव्य स्थल पर माल सुपुर्द करने का वचन होता है।

5. **Delivery warrant or Delivery order (सुपुर्दगी आदेश)**: It is a document which contains an order by the owner of the goods to a person having possession of goods on his behalf, to deliver the goods specified in it to a person named therein or to the bearer of it in case of warrant.

सुपुर्दगी आदेश एक ऐसा प्रलेख है जिसमें माल का स्वामी माल पर अधिकार रखने वाले व्यक्ति को उसमें उल्लिखित व्यक्ति को निश्चित माल सुपुर्द करने का आदेश देता है।

- (5) "fault" means wrongful act or default;

"कसूर" से सदोष कार्य या व्यतिक्रम अभिप्रेत है;

- (6) "future goods" means goods to be manufactured or produced or acquired by the seller after the making of the contract of sale;

"भावी माल" से वह माल अभिप्रेत है जिसे विक्रय की संविदा करने के पश्चात् विक्रेता को विनिर्मित या उत्पादित या अर्जित करना है;

**Sec.2(6): Future Goods (भावी माल)**

[PJS 2015]



**Means goods which are not yet in existence**

(माल जो अभी तक अस्तित्व में नहीं है)

[BJS 2013, 2020]

- (7) "goods" means every kind of moveable property other than actionable claims and money; and includes stock and shares, growing crops, grass, and things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before sale or under the contract of sale.

"माल" से अनुयोज्य दावों और धन से भिन्न हर किस्म की जंगम सम्पत्ति अभिप्रेत है, तथा इसके अन्तर्गत आते हैं स्टाक और अंश, उगती फसलें, घास और भूमि से बद्ध या उसकी भागरूप ऐसी चीजें जिनका विक्रय से पूर्व या विक्रय की संविदा के अधीन भूमि से पृथक् किए जाने का करार किया गया हो

- ✚ In order to make a contract of sale, there must be some goods.

माल विक्रय अनुबन्ध में माल अथवा वस्तुओं का होना आवश्यक है।



- ✚ Goods means every kind of movable property other than actionable claims and money, i.e. legal tender. It includes shares, patent rights, copyrights, trade marks, growing crops, grass, fruits, minerals, water, electricity etc. यह ध्यान रहे कि माल का आशय केवल चल सम्पत्ति से है और चल सम्पत्ति में सामान्य वस्तुओं के अतिरिक्त, अंश, ऋणपत्र, व्यापार-चिह्न, पेटेंट राइट, न्यायालय की डिक्री आदि को सम्मिलित किया जाता है।
- ✚ But immovable property cannot be the subject matter of contract of sale. अचल सम्पत्ति के विक्रय के अनुबन्ध इस अधिनियम के क्षेत्र के बाहर माने जाते हैं।
- ✚ Similarly, contracts for the sale of 'services' are also not governed by this Act. इसी प्रकार 'सेवा' के विक्रय के अनुबन्ध भी इस अधिनियम द्वारा अधिशासित नहीं होते हैं।

S.no.	GOODS	NOT GOODS
1.	Moveable property	Immoveable property
2.	Metal and Stone	Actionable Claims
3.	Stock and shares	Money
4.	Growing crops	Right to Claim Prize
5.	Grass	Services
6.	Things attached to or forming part of the land	
7.	Emblements	
8.	Debenture after allotment	Debenture before allotment
9.	Old Coins or Old Notes	
10.	Foreign Currency	
11.	IPR	
13.	Water, Gas and Electricity	
14.	Court Decree	
15.	Lottery Ticket	

## (8) insolvent

a person is said to be "insolvent" who has ceased to pay his debts in the ordinary course of business, or **cannot pay his debts as they become due**, whether he has committed an act of insolvency or not;

वह व्यक्ति "दिवालिया" कहलाता है जिसने कारबार के मामूली अनुक्रम में अपने ऋणों का संदाय बन्द कर दिया हो या जो अपने ऋणों का, जैसे-जैसे वे शोध्य होते जाएं संदाय न कर सकता हो, चाहे उसने दिवालियेपन का कोई कार्य किया हो या नहीं;

- (9) "mercantile agent" means a mercantile agent having in the customary course of business as such agent authority either to sell goods, or to consign goods for the purposes of sale, or to buy goods, or to raise money on the security of goods;



# Go to Linking App to get full PDF

## Linking App Features

Get all E-Book of

- Linking Charts
- Paperation Booklets
- Study Material E-Notes
- Free Video Lectures Links

## How to use Linking App

- Register Yourself then Login
- Subscribe to the plan on validity basis (i.e. 1 Month, 6 Months or 12 Months)
- Go to My Courses
- Get access to all Linking Publications

## How to download Linking App

You can download Linking App

via Play Store 

If you can't find the App on Play Store  
Kindly use this QR Code to  
download the App.



Tansukh Paliwal

